BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1090 OF 2024

IN THE MATTER OF:

MADHUBAN BAPUDHAM WELFARE SOCIETY
….APPLICANT

VERSUS

NAGAR NIGAM GHAZIABAD & ORS. ….RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit on behalf of U.P. Pollution Control Board	1-3
2.	**ANNEXURE 1:** Copy of the inspection report	4-18
3.	**ANNEXURE 2:** Copy of letter dated 02.12.2024	19-20

THROUGH

DATE: 04.12.2024
PLACE: NEW DELHI

STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR UPPCB
C1/131 MOTI BAGH, SHANTI PATH,
NEW DELHI-110021
(M): 9711116034
(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1090/2024

IN THE MATTER OF:

Madhuban Bapudham Welfare Society ....**Applicant(s)**

Versus

Nagar Nigam Ghaziabad & Ors. ....**Respondent(s)**

COMPLIANCE AFFIDAVIT ON BEHALF OF UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 27.08.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

I, Vikas Mishra aged about 45 years, S/o G.S. Mishra, posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Ghaziabad do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and such I am competent and authorized to swear the present Affidavit.
2. That the applicant had filed OA No 1090/2024 alleging that Respondent no.1, Ghaziabad Nagar Nigam was regularly dumping the solid waste/garbage inside the premises of a fully functional STP situated in pocket-D, Madhuban Bapudham, residential scheme, Ghaziabad. Further allegation is about uprooting of approximately 100 trees inside the STP.
3. That further the matter was listed before this Hon'ble Tribunal on 27.08.2024 and vide its order dated 27.08.2024 this Hon'ble Tribunal has passed the following direction:

03 DEC 2024

NOTARY Sandeep Sharma Reg. No. 1136/98 GOVT. OF INDIA

1-

.... 2. Issue notice to the Respondents for filing response by way of affidavit atleast one week before the next date of hearing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.

4. That in compliance to the above directions, dated 27.08.2024 of the Hon'ble Tribunal, inspection of the site in question was carried out by officials from Regional Office U.P. Pollution Control Board Ghaziabad on 17.09.2024, 18.11.2024 & 19.11.2024. The copy of inspection report is attached herewith as **Annexure-1**.
5. That, having regard to observations made during visit, a letter dated 23.09.2024 was issued by U.P Pollution Control Board to Ghaziabad Nagar Nigam with direction to provide the action plan regarding scientifically disposal of the solid waste/garbage deposited inside the premises of Sewage Treatment Plant (STP) having capacity of 56 MLD situated in Pocket-D, Madhuban Bapudham residential scheme Ghaziabad in accordance with Solid Waste Management Rules 2016.
6. That, in response to above mentioned letters, Ghaziabad Nagar Nigam vide its letter dated 27-11-2024 provided the information.
7. That, according to the said letter the total quantity of solid waste is approximately 61000MT out of which 29287MT was transported to an agency M/s Geeron Engineering Pvt Ltd located at pipe line road jagjeevanpur/ Bhikanpur Ghaziabad for processing while only 31713MT is pending for transportation/ processing which is likely to be completed by January 2025. This was also verified by inspection team.

03 DEC 2024

NOTARY Sandeep Sharma Reg. No. 116/98 GOVT. OF INDIA

2-

8. That furthermore, vide letter dated 02.12.2024, UPPCB has issued a Show Cause Notice to the Nagar Nigam Ghaziabad regarding imposition of Environmental Compensation for violation of the Solid Waste Management Rules, 2016. UPPCB has also directed the Nagar Nigam Ghaziabad to ensure that the solid waste dumped in the site in question is disposed of scientifically and afforestation is carried out in place of damaged trees. The copy of said letter dated 02.12.2024 is attached herewith as **Annexure-2.**
9. That, the above compliance of Uttar Pradesh Pollution Control Board is submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Ghaziabad on this ..03... day of December,2024 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1186/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

NOTARY
Sandeep Sharma
Reg. No. 1186/98
GOVT. OF INDIA

03 DEC 2024

3-

Annexure – 1

Response on behalf of UPPCB in compliance to Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi order dated 27-08-2024 in OA No-1090/2024 in the matter of Madhuban Bapudham Welfare Society Vs Nagar Nigam, Ghaziabad &Ors.

1- Background

Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi has passed an order dated 27-08-2024 in OA No-1090/2024 in the matter of Madhuban Bapudham Welfare Society Vs Nagar Nigam, Ghaziabad &Ors. and directed following:-

"……………2. Issue notice to the Respondents for filing response by way of affidavit atleast one week before the next date of hearing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

3. List on 06.12.2024."

2- Inspection of dumping site:

In compliance of aforesaid Hon'ble National Green Tribunal order dated 27.08.2024 inspection of dumping site inside premises of sewage treatment plant (STP) having capacity of 56 MLD situated in Pocket-D, Madhuban Bapudham residential scheme Ghaziabad was carried out on 17.09.2024. During inspection Shri Ashok Kumar Baghel, Sanitary and Food inspector as a representative of Municipal Corporation, Ghaziabad was present and overview of observation made during inspection is given below:

3- Observations:

1) Ghaziabad Development Authority Ghaziabad (GDA) has installed a Sewage Treatment Plant (STP) having capacity of 56

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

03 DEC 2024

4-

MLD situated in Pocket-D, Madhuban Bapudham residential scheme Ghaziabad.

2) During inspection huge dump of solid waste/garbage inside the premises of Sewage Treatment Plant (STP) having capacity of 56 MLD situated in Pocket-D, Madhuban Bapudham residential scheme Ghaziabad was found observed.

3) During inspection no record of garbage/solid waste dumped at the site was provided.

4) During inspection it was informed that in year 2023, 2024 during Kawad Yatra as the traffic on Meerut road was closed, the Municipal Corporation, Ghaziabad has deposited the garbage of city at that place as a alternative arrangement.

5) During inspection due to this garbage/solid waste the tree's planted inside the STP and also boundary wall of the premises were found damaged.

6) During inspection no leachate collection and management was found observed. However leachate from garbage/solid waste pile was found spread inside the premises of STP.

7) During inspection no fresh waste was found being dumped at the site.

8) It is also relevant to mention here that the applicant Shri Leela Dhar Mishra S/o Khyali Dutt Mishra, M-460B, Sanjay Nagar, Ghaziabad has annexed a copy of letter dated 26.07.2023, 21.09.2023, 17.02.2024 & 09.04.2024 along with original application issued by Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad regarding removal of garbage deposited inside premises of sewage treatment plant situated in pocket-D Madhuban Bapudham residential scheme. Copy of the said letter are attached here with as **Annexure-I**

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

03 DEC 2024

5-

9) According to the said letters it mentions that during the Kawad Yatra the traffic on Meerut road was closed and Ghaziabad Nagar Nigam has temporarily deposited the garbage of city in the premises of sewage treatment plant, while depositing this garbage it was said that after the Kawad Yatra ends the garbage will be shifted from the site. Further instructions were also issued to Ghaziabad Nagar Nigam by Ghaziabad Development Authority for removal of garbage.

10) Having regard to observations made during visit, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad issued a letter to Ghaziabad Nagar Nigam, on 23.09.2024 for providing complete and comprehensive action plan for scientific disposal of the solid waste accumulated in the premises of Sewage Treatment Plant (STP) having capacity of 56 MLD situated in Pocket-D, Madhuban Bapudham residential scheme Ghaziabad in accordance with solid waste management Rules, 2016. The copy of said letter attached here with as **Annexure-II**

11) In reply of same a letter was received on 27.11.2024 which contained details regarding transportation and processing of solid waste deposited inside premises of sewage treatment plant situated in pocket-D, Madhuban Bapudham residential scheme (the copy of said letter is attached herewith as **Annexure-III**).According to the said letter the total quantity of solid waste is approximately 61000MT out of which 29287MT was transported to an agency M/s Geeron Engineering Pvt Ltd located at pipe line road jagjeevanpur/ Bhikanpur Ghaziabad for processing while only 31713MT is pending for transportation/ processing which is likely to be completed by January 2025.

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

03 DEC 2024

12) Further In reference to above latest inspection of site in question was carried out on 18.11.2024 & 19.11.2024 During inspection it was observed that transportation work of solid waste to the said processing site has been started. Further it is also found that tree plantation work is being done instead of damaged trees.

13) During inspection ground water samples were collected from single bore well installed in the STP premises and also hand pump located outside the premises. The analysis result of the samples are placed in the table below:-

Sr. No.	Parameters	Borewell 56 MLD STP Bapudham, Ghaziabad	India Marka Hand pump, Police Choki, Bapudham, Ghaziabad	BIS IS 10500:2012 (Permissible limit for drinking water) Standards
1.	pH	6.89	6.91	**6.5 to 8.5**
2.	Turbidity (N.T.U.)	Nil	Nil	-
3.	Colour	Colorless	Colorless	**5-15 Hz**
4.	Odour	Odorless	Odorless	-
5.	Conductivity (µS/cm)	1107.0	1050.0	-
6.	T.D.S. (mg/l)	721.0	682.0	**500-2000**
7.	Total Hardness as $CaCo_3$ (mg/l)	376.0	384.0	**200-600**
8.	Ca (as Ca mg/l)	136.0	121.6	**75-200**
9.	Mg. (as Mg mg/l)	8.64	19.2	**30-100**
10.	Total Alkalinity (mg/l)	108.0	114.0	**200-600**
11.	Chloride	87.0	88.0	**250-1000**

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

03 DEC 2024

	(mg/l)			
12.	COD (mg/l)	-	-	-

Remarks: As per analysis result of ground water samples, all parameters are within prescribed norms.

14) During inspection photographs taken are given below:

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

03 DEC 2024

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

03 DEC 2024

9-

Therefore it is recommended to direct Ghaziabad Nagar Nigam to submit time bound action plan for the scientific disposal of solid waste and ensure the compliance of the solid waste management rules 2016 for the disposal of solid waste deposited at the said place

The above report in the said matter may kindly be taken on records.

(Anshul Sharma)
Assistant Environmental
Engineer, U.P. Pollution
Control Board, Ghaziabad.

(Kunwar Santosh Kumar)
Assistant Environmental
Engineer, U.P. Pollution
Control Board, Ghaziabad.

ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

03 DEC 2024

Annexure – I

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

(ISO 9001:2008 एवं ISO 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांकः 4/ई0ई0 जोन–3/2023–24 दिनांक

अनुस्मारक पत्र
महत्वपूर्ण/अति आवश्यक

प्रेषक,

सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गाजियाबाद।

विषयः– मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के डी पॉकेट स्थित एसटीपी प्लांट के अन्दर विगत वर्ष वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत जमा किया गया कूड़ा हटाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्रांक संख्या–491/ई0ई0जोन–3/2023–24 दिनांक 27.06.2023 एवं पत्रांक संख्या–47/ई0ई0जोन–3/2023–24 दिनांक 26.07.2023 जो कि मधुबन बापूधाम योजना के अन्तर्गत डी पॉकेट में स्थित एसटीपी के अन्दर विगत वर्ष एवं इस वर्ष नगर निगम द्वारा एसटीपी परिसर में जमा किये गये कूड़े को हटाने के सम्बन्ध में है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि विगत वर्ष कांवड़ यात्रा के समय मेरठ रोड पर यातायात बन्द रहने एवं इस वर्ष मेरठ रोड से यातायात बाधित रहने पर नगर निगम द्वारा तात्कालिक रूप से शहर का कूड़ा मधुबन बापूधाम के एसटीपी में जमा किया गया है। इस कूड़े को जमा करते समय यह कहा गया था कि कांवड़ यात्रा के समाप्त होने पर मेरठ रोड पर यातायात सुचारू होते ही कूड़ा यहां से मेरठ रोड स्थित डंपिंग ग्रउण्ड पर शिफ्ट कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश प्राप्त हुए थे परन्तु तात्कालिक रूप से वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत जमा किये गये कूड़े को अभी तक यहां से शिफ्ट नहीं किया गया है। इससे पूर्व भी उक्त कूड़े को हटाने हेतु कई बार अनुरोध किया जा चुका है। IGRS के माध्यम से भी कूड़ा हटवाने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। प्राधिकरण द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अनुरोध करने के पश्चात् भी अभी तक यहां से कूड़ा शिफ्ट नहीं किया गया है। इस कूड़े के कारण एसटीपी के अन्दर कराये गये वृक्षारोपण को भी क्षति पहुंची है तथा बाउण्ड्रीवाल व सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई है। एसटीपी के अन्दर कूड़ा एकत्र होना योजना के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। योजना के आवंटियों द्वारा कूड़ा हटाने हेतु अधिशासी अभियंता जोन–3 से सम्पर्क कर अनुरोध किया गया है।

अतः अनुरोध है कि मधुबन बापूधाम के एसटीपी में नगर निगम द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत एकत्र किये गये कूड़े को प्राथमिकता के आधार पर अन्यत्र हटाने एवं क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का पुनः निर्माण तथा क्षतिग्रस्त सड़क को रिपेयर कराने हेतु अपने अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(राजेश कुमार सिंह)
सचिव

पृष्ठांकन–1813/4/ई0ई0 जोन–3/2023–24 दिनांक 21.9.2023

प्रतिलिपि–

1– जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2– सचिव, मधुबन बापूधाम वैलफेयर सोसायटी (रजि0), एस0 ई–345 ई, शास्त्रीनगर गाजियाबाद को सूचनार्थ।

19/9/23

सचिव

11–

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

(ISO 9001:2008 एवं ISO 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक: 4 / ई0ई0 जोन–3 / 2023–24 दिनांक

महत्वपूर्ण / आवश्यक

प्रेषक,

सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गाजियाबाद।

विषयः– मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के डी पॉकेट स्थित एसटीपी प्लांट के अन्दर विगत वर्ष वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत जमा किया गया कूड़ा हटाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मधुबन बापूधाम योजना के अन्तर्गत डी पॉकेट में स्थित एसटीपी के अन्दर विगत वर्ष एवं विगत दिनों जमा किये गये कूड़े का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि विगत वर्ष कांवड़ यात्रा के समय मेरठ रोड पर यातायात बन्द रहने एव इस वर्ष मेरठ रोड से यातायात बाधित रहने पर नगर निगम द्वारा तात्कालिक रूप से शहर का कूड़ा मधुबन बापूधाम के एसटीपी में जमा किया गया है। इस कूड़े को जमा करते समय यह कहा गया था कि कांवड़ यात्रा के समाप्त होने पर मेरठ रोड पर यातायात सुचारू होते ही कूड़ा यहां से मेरठ रोड स्थित डंपिंग ग्राउण्ड पर शिफ्ट कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश प्राप्त हुए थे परन्तु तात्कालिक रूप से वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत जमा किये गये कूड़े को अभी तक यहा से शिफ्ट नहीं किया गया है, इससे पूर्व भी उक्त कूड़े को हटाने हेतु कई बार अनुरोध किया जा चुका है। IGRS के माध्यम से भी कूड़ा हटवाने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। प्राधिकरण द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अनुरोध करने के पश्चात् भी अभी तक यहां से कूड़ा शिफ्ट नहीं किया गया है। इस कूड़े के कारण एसटीपी के अन्दर कराये गये वृक्षारोपण को भी क्षति पहुंची है तथा बाउण्ड्रीवाल व सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई है। एसटीपी के अन्दर कूड़ा एकत्र होना योजना के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। योजना के आवंटियों द्वारा कूड़ा हटाने हेतु अधिशासी अभियंता जोन–3 से सम्पर्क कर अनुरोध किया गया है।

अतः अनुरोध है कि मधुबन बापूधाम के एसटीपी में नगर निगम द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत एकत्र किये गये कूड़े को प्राथमिकता के आधार पर अन्यत्र हटाने एवं क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का पुनः निर्माण तथा क्षतिग्रस्त सड़क का रिपेयर कराने हेतु अपने अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(राजेश कुमार सिंह)
सचिव

पृष्ठांकन– 477/II/ 4 / ई0ई0 जोन–3 / 2023–24 दिनांक 26.7.2023

प्रतिलिपि-

1– जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

2– सचिव, मधुबन बापूधाम वैलफेयर सोसायटी (रजि0), एस0 ई–345 ई, शास्त्रीनगर गाजियाबाद को सूचनार्थ।

सचिव

12–

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

(ISO 9001:2008 एवं ISO 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांकः /4/ई0ई० जोन–3/2023–24 दिनांकः

प्रेषक,

सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गाजियाबाद।

विषयः– मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के पॉकेट डी स्थित एसटीपी प्लांट के अन्दर विगत वर्ष वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत जमा किया गया कूड़ा हटाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक 316/4/ई0ई0जोन–3/2023–24 दिनांक 06.12.2023 एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्रांक संख्या–491/4/ई0ई0जोन–3/2023–24 दिनांक 27.06.2023, पत्रांक संख्या–47/4/ई0ई0जोन–3/2023–24 दिनांक 28.07.2023 व पत्र संख्या–181/4/ई0ई0जोन–3/2023–24 दिनांक 21.09.2023 जो कि मधुबन बापूधाम योजना के अन्तर्गत डी पॉकेट में स्थित एसटीपी प्लान्ट के अन्दर वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 एवं इस वर्ष नगर निगम द्वारा एसटीपी परिसर में जमा किये गये कूड़े को हटाने के सम्बन्ध में है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि विगत वर्ष एवं इस वर्ष कांवड़ यात्रा के समय मेरठ रोड पर यातायात बाधित रहने पर नगर निगम द्वारा तात्कालिक रूप से शहर का कूड़ा मधुबन बापूधाम योजना के एसटीपी के परिसर में जमा किया गया है। इस कूड़े को जमा करते समय यह आश्वासन दिया गया कि कांवड़ यात्रा समाप्त होने पर मेरठ रोड पर यातायात सुचारू होते ही कूड़ा एसटीपी परिसर से हटाकर मेरठ रोड स्थित डंपिंग ग्राउण्ड पर शिफ्ट करा दिया जायेगा, परन्तु तात्कालिक रूप से वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत जमा किये गये कूड़े को नगर निगम द्वारा अभी तक एसटीपी परिसर से कूड़ा नहीं हटाया गया। मधुबन बापूधाम वैलफेयर सोसायटी द्वारा निरन्तर पत्राचार के माध्यम से कूड़ा हटवाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। इस कूड़े के कारण एसटीपी के अन्दर कराये गये वृक्षारोपण को भी क्षति पहुंची है तथा बाउण्ड्रीवाल एवं सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई है। एसटीपी के अन्दर कूड़ा एकत्र होना योजना के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। योजना के आवंटियों में एस0टी0पी0 परिसर से कूड़ा न हटने के कारण अत्यधिक रोष व्याप्त है। आवंटियों द्वारा कूड़ा हटाने हेतु लगातार विकास प्राधिकरण कार्यालय में शिकायत की जा रही है।

अतः मधुबन बापूधाम के एसटीपी परिसर में नगर निगम द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत एकत्र किये गये कूड़े को प्राथमिकता के आधार पर अन्यत्र हटाने एवं क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का पुनः निर्माण तथा क्षतिग्रस्त सड़क को रिपेयर करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेश कुमार सिंह)
सचिव

पृष्ठांकन–476I/4/ई0ई0 जोन–3/2023–24 दिनांक 17.2.2024

प्रतिलिपि–

1– सचिव, मधुबन बापूधाम वैलफेयर सोसायटी (रजि0), एस0 ई–345 ई, शास्त्रीनगर गाजियाबाद को सूचनार्थ।

15/2/24

सचिव

13–

कार्यालय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

दिनांक :- अप्रैल, 2024

पत्रांक :- /4/ई0ई0 जोन–3/2023–24

अनुस्मारक पत्र

महत्वपूर्ण/अति आवश्यक

प्रेषक,

उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गाजियाबाद।

विषय :– मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के पॉकेट डी स्थित एसटीपी प्लांट के अन्दर विगत वर्ष वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत जमा किया गया कूड़ा हटाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पत्रांक 316/4/ई0ई0जोन–3/2023–24 दिनांक 06.12.2023 एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या–476/4/ई0ई0जोन–3/2023–24 दिनांक 17.02.2024, पत्रांक संख्या–491/4/ई0ई0जोन–3/2023–24 दिनांक 27.06.2023, पत्रांक संख्या–47/4/ई0ई0जोन–3/2023–24 दिनांक 26.07.2023, पत्र संख्या–181/4/ ई0ई0जोन–3/2023–24 दिनांक 21.09.2023 व जो कि मधुबन बापूधाम योजना के अन्तर्गत डी पॉकेट में स्थित एसटीपी प्लान्ट के अन्दर वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 एवं इस वर्ष नगर निगम द्वारा एसटीपी परिसर में जमा किये गये कूड़े को हटाने के सम्बन्ध में है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि विगत वर्ष एवं इस वर्ष कांवड़ यात्रा के समय मेरठ रोड पर यातायात बाधित रहने पर नगर निगम द्वारा तत्कालिक रूप से शहर का कूड़ा मधुबन बापूधाम योजना के एसटीपी के परिसर में जमा किया गया है। इस कूड़े को जमा करते समय यह आश्वासन दिया गया कि कांवड़ यात्रा समाप्त होने पर मेरठ रोड पर यातायात सुचारू होते ही कूड़ा एसटीपी परिसर से हटाकर मेरठ रोड स्थित डंपिंग ग्राउण्ड पर स्थानान्तरित करा दिया जायेगा, परन्तु तत्कालिक रूप से वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत जमा किये गये कूड़े को नगर निगम द्वारा अभी तक एसटीपी परिसर से नहीं हटाया गया है। मधुबन बापूधाम वैलफेयर सोसायटी द्वारा निरन्तर पत्राचार के माध्यम से कूड़ा हटवाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। इस कूड़े के कारण एसटीपी के अन्दर कराये गये वृक्षारोपण को भी क्षति पहुंची है तथा बाउण्ड्रीवाल एवं सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई है। एसटीपी के अन्दर कूड़ा एकत्र होना योजना के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। योजना के आवंटियों में एस0टी0पी0 परिसर से कूड़ा न हटने के कारण अत्यधिक रोष व्याप्त है। आवंटियों द्वारा कूड़ा हटाने हेतु लगातार विकास प्राधिकरण कार्यालय में शिकायत की जा रही है।

ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

0 3 DEC 2024

14-

अतः मधुबन बापूधाम के एसटीपी परिसर में नगर निगम द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत एकत्र किये गये कूड़े को प्राथमिकता के आधार पर अन्यत्र हटाने एवं क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का पुनः निर्माण तथा क्षतिग्रस्त सड़क को रिपेयर करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अतुल वत्स)
आई0ए0एस0
उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

दिनांक :– 9 अप्रैल, 2024

पृष्ठांकन :– 2791/4/ई0ई0 जोन–3/2023–24

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मधुबन बापूधाम वैलफेयर सोसायटी (रजि0), एस0 ई–345 ई, शास्त्रीनगर गाजियाबाद को सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, जी0डी0ए0 को इस निर्देश के साथ कि मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, गाजि0 से समन्वय स्थापित कर उक्त को प्राथमिकता के आधार पर स्थानान्तरित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

0 3 DEC 2024

ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

Annexure – II

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद

114

Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

NGT-

संदर्भ संख्या : 1515 / 229 / 2024 दिनांक 23/09/2024

सेवा में,

नगर आयुक्त महोदय,
नगर निगम,
गाजियाबाद।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 1090/2024 MADHUBAN BAPUDHAM WELFARE SOCIETY VS NAGAR NIGAM GHAZIABAD में पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि याचिकाकर्ता श्री लीलाधर मिश्रा द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष **ओ0ए0 संख्या** 1090/2024 MADHUBAN BAPUDHAM WELFARE SOCIETY VS NAGAR NIGAM GHAZIABAD में मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के अन्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट(एस0टी0पी) क्षमता 56 एम0एल0डी0 के परिसर में नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा डम्प किये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को हटाये जाने सम्बन्धी याचिका योजित की गयी है। उक्त वाद में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत हैः–

"....2. Issue notice to the Respondents for filing response by way of affidavit atleast one week before the next date of hearing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing....."

उक्त आदेश के अनुपालन मे इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 17.09.2024 को प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण श्री अशोक कुमार बघेल, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, नगर निगम, गाजियाबाद की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्य् निम्नवत हैः–

1. गजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा मधुबन बापूधाम, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद आवासीय योजना के अन्तर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट(एस0टी0पी) क्षमता 56 एम0एल0डी0 स्थापित है। उक्त परिसर में 02 स्थानों पर नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट को डम्प किया गया है।
2. निरीक्षण के समय उपस्थित नगर निगम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त वेस्ट वर्ष 2023 एवं 2024 में कावड यात्रा के दौरान मेरठ रोड पर यातायात बाधित होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत अस्थायी रूप से मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के अन्तर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट(एस0टी0पी) क्षमता 56 एम0एल0डी0 के परिसर में नगर निगम द्वारा डम्प किया गया है तथा वर्तमान में कोई भी फ्रेश वेस्ट डम्प नही किया जा रहा है। निरीक्षण के समय स्थल पर एकत्रित लिगेसी वेस्ट की मात्रा के सम्बन्ध में कोई सूचना/अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये।

3. नगरीय ठोस अपशिष्ट डम्प किये जाने के कारण सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट(एस0टी0पी) क्षमता 56 एम0एल0डी0 परिसर की बाउण्ड्रीबाल क्षतिग्रस्त पायी गयी एवं कुछ पेड़ों को भी नुकसान होना दृष्टिगोचित हुआ।
4. नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण स्थल पर लीचेट/जल भराव की समस्या पायी गयी।
5. याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में वर्णित गजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 21.09.2023, दिनांक 17.02.2024, दिनांक 09.04.2024 एवं जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 06.12.2023 में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2022, 2023 एवं इस वर्ष (2024) में कावड यात्रा के समय मेरठ रोड पर यातायात बाधित रहने पर तत्कालीक रूप से वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत शहर का मधुबन बापूधाम योजना के एस0टी0पी0 परिसर में जमा किया गया है, जिसे नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा अभी तक एस0टी0पी0 परिसर से नही हटाया गया है। इस कूडे के कारण एस0टी0पी0 के अन्दर कराये गये वृक्षारोपण को भी क्षति पहुचने तथा बाउण्ड्रीबाल व सड़क क्षतिग्रस्त होने का भी उल्लेख किया गया है, जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि मधुबन बापूधाम, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद आवसीय योजना के अन्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट(एस0टी0पी) क्षमता 56 एम0एल0डी0 के परिसर में डम्प किये गये लिगेसी वेस्ट को वैज्ञानिक तरीके से नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुरूप प्रोसेसिंग एवं निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध मे प्रस्तावित कार्ययोजना/समयबद्ध कियान्वयन कार्यक्रम इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करे, जिससे कि तदनुसार मा0 अधिकरण के समक्ष तथ्यात्मक रिपोर्ट ससमय दाखिल की जा सके।

उक्त वाद में सुनवाई की अग्रिम तिथि 06.12.2024 नियत है।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः—
1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि 56 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 मधुबन बापूधाम में नगरीय ठोस अपशिष्ट को डम्प किये जाने की अवधि में क्षतिग्रस्त वृक्षों के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त—1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
01

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0—2, सेक्टर—16, वसुन्धरा, गाजियाबाद—201012 फोन—0120—4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Annexure-III

कार्यालयः नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम।

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION

दूरभाषः 0120-2790425, 2713580 ई-मेलः gzb.nagar.nigam@gmail.com

पत्रांकः 949 /न0आ0/2024-25 दिनांकः 27.11.24

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सै0-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद।

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-1090/2024 मधुबन बापूधाम वैलफेयर सोसायटी बनाम नगर निगम गाजियाबाद में पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक:1515/एन0जी0टी0-229/2024 दिनांक 23.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा याचिकाकर्ता श्री लीलाधर मिश्रा द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष ओ0ए0 संख्या-1090/2024 मधुबन बापूधाम वैलफेयर सोसायटी बनाम नगर निगम गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के अन्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा स्थापित सीवेज ट्रीटमेन्ट (एस0टी0पी0) क्षमता 56 एम0एल0डी0 के बाहर रिक्त पड़ी भूमि पर, नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अस्थायी रूप से एकत्रित किये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को हटाये जाने सम्बन्धी याचिका योजित की गई है:-

उक्त पत्र में वर्णित बिन्दुओं के कम में आख्या निम्नवत है:-

1. कांवड यात्रा के दौरान् प्रोसेसिंग साइट, पाईप लाइन रोड मार्ग बन्द होने के कारण, नगर निगम सीमान्तर्गत उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट को बापूधाम एस0टी0पी0 के बाहर, रिक्त पड़ी भूमि पर एकत्रित किया गया था।
2. 07 जून, 2024 को सम्बन्धित फर्म को बापूधाम एस0टी0पी0 में एकत्रित अपशिष्ट के परिवहन का कार्य प्रोसेसिंग साइट पाईप लाइन रोड भिक्कनपुर पर प्रोसेसिंग हेतु कार्यदायीं फर्म मैसर्स जिरोन इन्जी0 प्रा0लि0 को भेजा जा रहा है।
3. फर्म द्वारा निरन्तर अपशिष्ट के परिवहन का कार्य किया जा रहा है, जिसकी सूचना निम्न है:-

Madhuban Bapudham Report

Sr. No.	Year	Qty of Waste (In MT)	Waste Lifted (In MT) Till Date	Balance (In MT)	Remark
1	2023	40000	29287	31713	Will be Completed by January 2025
2	2024	21000			
Total		61000	29287	31713	

3. कूड़ा उठान के उपरान्त रिक्त हुई भूमि पर उद्यान विभाग द्वारा लगभग 400-500 वृक्ष का पौधारोपण का कार्य प्रगति पर है। फोटोग्राफ संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या सूचनार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम

Annexure-2

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0–12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

पत्रांक : 1120458 /सी–1/एनजीटी–279/पर्या0क्षति0–का0ब0नो0/2024 दिनांक : 02/12/24

सेवा में

नगर आयुक्त,
नगर निगम गाजियाबाद
(मधुबन बापूधाम, गोविन्दपुरम आवासीय योजना),
गाजियाबाद।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–1090/2024 मधुबन बापूधाम वेलफेयर सोसाइटी बनाम नगर निगम गाजियाबाद में पारित आदेश दिनांक–27.08.2024 के अनुपालन में नगरीय ठोस अपशिष्ट के उचित निस्तारण हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अर्न्तगत निर्देश के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–1090/2024 मधुबन बापूधाम वेलफेयर सोसाइटी बनाम नगर निगम गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के अर्न्तगत नगर निगम गाजियाबाद द्वारा 56 एम0एल0डी0 क्षमता के परिसर में डम्प किये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट के संबंध में प्रश्नगत 56 एम0एल0डी0 मधुबन बापूधाम आवासीय योजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक–19.11.2024 को किया गया, निरीक्षण आख्या में पाये गये मुख्य तथ्य निम्नवत् हैः–

1. मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के अर्न्तगत सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट क्षमता 56 एम0एल0डी0 के परिसर में 02 स्थानों पर नगरीय ठोस अपशिष्ट डम्प किया गया पाया गया।
2. नगरीय ठोस अपशिष्ट डम्प किये जाने के कारण सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट क्षमता 56 एम0एल0डी0 परिसर की बाउन्ड्री वॉल क्षतिग्रस्त पायी गयी एवं कुछ पेड़ों को नुकसान भी हुआ।

नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना सं0–1357 (ई), दिनांक–08.04.2016 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित है, जो दिनांक–08.04.2016 से प्रभावी है। उक्त अधिसूचना के नियम–15 में नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण किया जाना प्राविधानित है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0–1090/2024 मधुबन बापूधाम वेलफेयर सोसाइटी बनाम नगर निगम गाजियाबाद में पारित आदेश दिनांक–27.08.2024 में जारी निर्देशों के अनुपालन में किये गये निरीक्षण दिनांक–19.11.2024 में पायी गयी कमियों तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित

...2

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

03 DEC 2024

–2–

किये जाने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत निम्न निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. यह कि नगर निगम गाजियाबाद द्वारा मधुबन वापूधाम, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद आवासीय योजना परिसर में जगह–जगह एकत्र/डम्प नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुरूप वैज्ञानिक तरीके से किया जाए।
2. यह कि नगर निगम गाजियाबाद द्वारा मधुबन बापूधाम, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद आवासीय योजना परिसर में क्षतिग्रस्त पेड़ों के स्थान पर वृक्षारोपण कराया जाए।

उक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद से प्राप्त आख्या एवं संस्तुति के अनुक्रम में नगर निगम गाजियाबाद के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

यह कि क्यों न नगर निगम गाजियाबाद के विरूद्ध रूपया–60,000/– प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए?

उक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में परियोजना के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 यथासंशोधित के सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्गत आदेश दिनांक–27.08.2024 के अनुपालन हेतु अपने स्तर से संबंधित को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्गत आदेश दिनांक–27.08.2024 के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

03 DEC 2024

20-